राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

पुनर्स्थापना प्रा.सं.:–07 / 2024
अपील संख्याः– 2683 / 2015

गिरधारी सिंह

–अपीलार्थी

बनाम

1. पुलिस महानिदेशक, राजस्थान, पुलिस मुख्यालय, जयपुर।
2. पुलिस महानिरीक्षक, मुख्यालय, राजस्थान, जयपुर।
3. पुलिस अधीक्षक, अलवर।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश दिनांक : 20.05.2024

उपस्थिति :–
अपीलार्थी की ओर से : श्री मनोज पारीक, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अभिभाषक

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

1. इस अपील में अपीलार्थी ने यह तथ्य अंकित किये हैं कि अपीलार्थी कॉस्टेबल के पद पर चैकपोस्ट नसवारी, जिला थाना, गोविन्दगढ, जिला अलवर में कार्यरत था। दिनांक 13.12.2010 को अपीलार्थी नसवारी चैकपोस्ट पर ड्यूटी पर था और अधिकारी कार्य से जिला थाना गोविन्दगढ, चैकपोस्ट वापस लौट रहा था। तभी सड़क दुर्घटना हो गयी जिसमें अपीलार्थी के पैर की हड्डी टूट गई और काफी चौटें आई। दुर्घटना के सम्बन्ध में एफआईआर संख्या 159 / 2010 दिनांक 14.12.2014 को दर्ज हुई। अपीलार्थी के पैर में फेक्चर हो गया। उसका कई बार ऑपरेशन हुआ, जिसके कारण अपीलार्थी के पैर की लम्बाई छोटी हो गई। अपीलार्थी दिनांक 13.10.2010 से 16.08.2014 तक ईलाजरत रहा। इसकी सूचना अपीलार्थी ने अपने कार्यालय में दी थी। अपीलार्थी ने मेडिकल बोर्ड की राय भी प्रस्तुत किया। अपीलार्थी ने पुनः दिनांक 20.08.2014 को ड्यूटी ज्वाईन की। अपीलार्थी की अनुपस्थिति अवधि के सम्बन्ध में आदेश दिनांक 26.09.2014 के द्वारा अवकाश स्वीकृत किया गया, जिसमें अपीलार्थी को निम्न प्रकार से स्वीकृति प्रदान की गयी :–

1.	दिनांक 13.12.2010 से 02.06.2011 तक	172 दिन उपार्जित अवकाश
2.	दिनांक 03.06.2011 से 03.08.2012 तक	427 दिन असाधारण अवकाश (चिकित्सा आधार पर)
3.	दिनांक 04.08.2012 से 25.11.2012 तक	114 दिन रूपान्तरित अवकाश (रोग प्रमाण पत्र के आधार पर)

4. दिनांक 26.11.2012 से 20.08.2014 तक 633 दिन असाधारण अवकाश (चिकित्सा आधार पर)

कुल–1346 दिवस

2. अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क रहा है कि अपीलार्थी को चोटें ड्यूटी पर रहते हुए आई है। अपीलार्थी को राजस्थान सेवा नियम, 1951 के नियम–99 के तहत विशेष असमर्थता अवकाश जो 24 महिने तक प्रदान किया जा सकता है, वह प्रदान नहीं किया गया है। अपीलार्थी को 24 महिने तक विशेष असमर्थता अवकाश दिये जाने के उपरान्त ही असाधारण अवकाश एवं उपार्जित अवकाश दिये जा सकते थे।

3. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से जवाब प्रस्तुत कर यह अंकित किया गया है कि चैक पोस्ट नसवारी थाना गोविन्दगढ़ हाल पुलिस लाईन अलवर की रपट संख्या–375, 377 के अनुसार दिनांक 13–12–2010 को थाने से चैक पोस्ट नसवारी पर जाते समय मोटरसाईकिल से एक्सीडेन्ट होने पर अपीलार्थी दिनांक 13–12–2010 पी.एम. से दिनांक 20–8–2014 तक 1346 दिन अनुपस्थित रहा है। अपीलार्थी ने अपने करवाये गये ईलाज के प्रमाण में दिनांक 13–12–2010 से 6–4–2012 तक 480 दिन प्राईवेट चिकित्सालय, भरतपुर, दिनांक 7–4–2012 से 28–7–2012 तक 110 दिन प्राईवेट चिकित्सालय, आगरा, दिनांक 4–8–2012 से 10–8–2014 तक 737 दिन मेडिकल बोर्ड सवाईमानसिंह चिकित्सालय, जयपुर दिनांक 11–8–2014 से 16–8–2014 तक 06 दिन आचार्य सवाईमानसिंह चिकित्सालय, जयपुर द्वारा जारी कुल 1333 दिन के रोग प्रमाण पत्र उत्तरदाता प्रत्यर्थीगण को प्रेषित किये हैं। अपीलार्थी की अनुपस्थित अवधि दिनांक 13–12–2010 पी.एम. से 20–8–2014 तक 1346 दिन के निर्णय हेतु प्रकरण रेंज कार्यालय जयपुर के माध्यम से पुलिस मुख्यालय, राज. जयपुर को भिजवाया गया। पुलिस मुख्यालय ने आदेश दिनांक 26–9–2014 के द्वारा अपीलार्थी के अवकाश हक अनुसार अनुपस्थिति अवधि के निर्णय में 172 दिन उपार्जित अवकाश, 427 दिन असाधारण अवकाश (चिकित्सा आधार पर), 144 दिन रूपान्तरित अवकाश (रोग प्रमाण पत्र के आधार पर), 633 दिन असाधारण अवकाश (चिकित्सा आधार पर) स्वीकृत किया गया है। अपीलार्थी को नियमानुसार उसके हक के अनुसार अवकाश स्वीकृत किए जा चुके हैं, अपीलार्थी मनमाने अवकाश स्वीकृत करवाना चाहता है, जो संभव नहीं है, इसलिये अपीलार्थी की अपील सारहीन व आधारहीन होने से निरस्त किए जाने योग्य है

4. हमनें दोनों पक्षों द्वारा दिये गये तर्को पर विचार किया।

5. अपीलार्थी का मुख्य रूप से तर्क रहा है कि अपीलार्थी को विशेष असमर्थता अवकाश राजस्थान सेवा नियम, 1951 के नियम–99 के तहत देय है परन्तु अपीलार्थी को उक्त अवकाश का लाभ नहीं दिया गया। राजस्थान सेवा नियम, 1951 के नियम–99 निम्न प्रकार से है :–

> ''(i) इस अनुभाग में वर्णित शर्तों के अनुसार सरकार ऐसे कर्मचारी को विशेष असमर्थता अवकाश स्वीकृत कर सकती है जिसे कर्त्तव्यों की उचित पालना करते हुए अथवा अपनी राजकीय स्थिति (या निर्वाचन ड्यूटी) के कारण कोई चोट लगी हो या चोट पहुँचाई गई हो तथा जिसके कारण वह असमर्थ हो गया हो।
>
> (ii) ऐसा अवकाश तब तक स्वीकृत नहीं किया जावेगा जब तक घटना के 3 माह में असमर्थता के कारण, जिससे वह सम्बन्धित है, प्रकट नहीं हो जावें तथा असमर्थ व्यक्ति इसे यथाशीघ्र सरकार के ध्यान में लाने का प्रयत्न नहीं करे। ऐसे मामले में जहाँ असमर्थता के कारण एक घटना 3 माह से अधिक समय में ज्ञात हो, तो यदि सरकार असमर्थता के कारण से सन्तुष्ट हो जाये तो उसे ऐसा अवकाश स्वीकृत करने की आज्ञा दी जा सकती है।
>
> (iii) उतने ही समय का विशेष असमर्थता अवकाश स्वीकृत किया जावेगा जितना चिकित्सक मण्डल द्वारा आवश्यक मानकर प्रमाणित किया गया हो।''

6. उपरोक्त प्रावधान से स्पष्ट है कि सरकार ऐसे कर्मचारी को विशेष असमर्थता अवकाश स्वीकृत कर सकती है, जिसे कर्तव्यों का उचित पालन करते हुए अथवा अपनी राजकीय स्थिति के कारण कोई चोट लगी हो या जिस कारण से वह असमर्थ हो गया हो। प्रत्यर्थी विभाग ने स्वीकार किया है कि अपीलार्थी अपने आधिकारिक कार्य से वापस लौट रहा था। लोटते समय दुर्घटना हो गयी थी। उपरोक्त परिस्थितियों में हम पाते हैं कि अपीलार्थी राजस्थान सेवा नियम, 1951 के नियम–99 के तहत अवकाश प्राप्त करने का अधिकारी होता है। अतः यह अपील स्वीकार की जाती है। प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिये जाते हैं कि अपीलार्थी को राजस्थान सेवा नियम, 1951 के नियम–99 के तहत देय अवकाश के सम्बन्ध में विचार किया जाए। यदि अपीलार्थी को विशेष असमर्थता अवकाश चिकित्सक मण्डल के प्रमाणीकरण के आधार पर देय होना पाया जाता है तो अपीलार्थी को राजस्थान सेवा नियम, 1951 के नियम–99 के तहत विशेष असमर्थता अवकाश स्वीकृत किया जाए एवं इस सम्बन्ध में नवीन अवकाश स्वीकृति का आदेश जारी किया जाए। अपीलार्थी को समस्त पारिणामिक लाभ भी प्रदान किये जाए।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)

R